रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 320] नई दिल्ली, बुधवार, जून 9, 2010/ज्येष्ठ 19, 1932
No. 320] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 9, 2010/JYAISTHA 19, 1932

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली; 9 जून, 2010

सा.का.नि. 485(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण (संरक्षण) तीसरा (संशोधन) नियम, 2010 है ।

 (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 की अनुसूची I में,

 (क) क्र. सं. 45 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जायेगा; और

 (ख) क्र. सं. 8 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्र. सं. और प्रविष्टियां अन्त: स्थापित की जांएगी, अर्थात् :-

क्रम सं.	उद्योग	पैरामीटर	मानक
(1)	(2)	(3)	(4)
"8.	रंजक और रंजक माध्यमिक उद्योग	**क- बहि:स्राव मानक**	
			सांद्रण सीमा मि.ग्रा./लीटर में, पी एच, तापमान, रंग और बायोएस्से परीक्षण को छोड़कर
		पी एच	6.0-8.5
		निलंबित कण	100
		बी ओ डी $_{3 \text{ दिन } 27,\ C}^{0}$	100
		तापमान	प्रापक जल निकाय के जल के तापमन से $5^{0}C$ से अधिक नहीं
		रंग	400 (हैजेन यूनिट)
		पारद (Hg के रूप में)	0.01

(1)	(2)	(3)	(4)	
		क्रोमियम (हैक्सावेलेंट)	0.1	
		क्रोमियम (कुल)	2.0	
		तांबा (Cu के रूप में)	3.0	
		जस्ता (Zn के रूप में)	5.0	
		निकिल (Ni के रूप में)	3.0	
		सीसा (Pb के रूप में)	0.1	
		मैंगनीज (Mn के रूप में)	2.0	
		कैडमियम (Cd के रूप में)	2.0	
		क्लोराइड (Cl के रूप में)	1000	
		सल्फेट (SO_4 के रूप में)	1000	
		फिनॉलिक यौगिक (C_6H_5OH के रूप में)	1.0	
		तेल और ग्रीस	10	
		बायोएस्से	100 प्रतिशत बहि:स्राव में 96 घण्टे के बाद 90 प्रतिशत मछलियां अवशेष*	
		*बायोएस्से परीक्षण IS:6582-1971 के अनुसार संचालित किया जाए । टिप्पण: (i) शोधित बहि:स्राव के अन्तर्देशीय सतही जल गति के बहाव पर केवल क्लोराइड तथा सल्फेट के मानक लागू होंगे । तथापि, भूमि पर सिंचाई के लिये बहिस्राव छोड़ने पर मानक के रूप क्लोराइड की सान्द्रणता सीमा कच्चे जल में क्लोराइड की सान्द्रणता से 600 मि.ग्रा./लीटर अधिक में रहेगी तथा सोडियम अवशोषण सीमा (SAR) 26 से अधिक नहीं रहेगी । (ii) बहि:स्राव को टंकियों में इस तरह एकत्रित नहीं किया जाए, जिससे भूजल प्रदूषित हो ।		
		ख. भस्मीकरण संयंत्र से उत्सर्जन		
			जब तक अन्यथा उल्लिखित न हो, सांद्रण सीमा मि.ग्रा. /नार्मल घन मी. में	जब तक अन्यथा उल्लिखित न हो, सैम्पलिंग अवधि मिनटों में
		विविक्त पदार्थ	50	30 अथवा अधिक (सैम्पलिंग के लिए लगभग 300 लीटर उत्सर्जन)
		HCl	50	30
		SO_2	200	30
		CO	100	दैनिक औसत
		कुल जैविक कार्बन	20	30

		कुल डायक्सीन्स एवं फयूरान्स**	मौजूदा भस्मीकरण संयंत्र	0.2 ngTEQ/Nm^3	8 घंटे
			नए भस्मीकरण संयंत्र	0.1 ngTEQ/Nm^3	2 घंटे
		Sb +As +Pb +Cr+ Co +Cu +Mn +Ni +V +Cd +Th + Hg और उनके यौगिक		1.5	2 घंटे

** विद्यमान संयंत्र द्वारा डायक्सीन्स एवं फयूरान्स के लिए 0.1 ngTEQ/Nm^3 मानदण्ड का अनुपालन तारीख 01 जनवरी, 2014 के भीतर करेंगे ।

टिप्पण :

i. सभी मानीटर किए गए मानों को 11% ऑक्सीजन के अनुसार शुष्क आधार पर ठीक किया जाए ।

ii. उत्सर्जित गैस में कार्बन डाईआक्साइड की सांद्रणता 7% से कम नहीं होगी ।

iii. निवेश अपशिष्ट की स्थिति में हेलोजिनेटड कार्बनिक अपशिष्ट वजन में 1% से कम हो तो,

ट्विन चैम्बर भस्मीकरण संयंत्र में सभी सुविधाओं को इस तरह डिजाइन किया जाएगा ताकि प्राइमरी चैम्बर में 850±25%°C और सेकेण्डरी कम्बशन चैम्बर में 950°C का न्यूनतम तापमान बनाए जा सके जिसके साथ सेकेन्डरी कम्बशन चैम्बर में गैस अवरोधक समय दो सेकेन्ड से कम नहीं होगा ।

अथवा

एकल चैम्बर भस्मीकरण संयंत्र में गैसीय संकटमय अपशिष्ट हेतु सभी सुविधाओं को इस तरह डिजाईन किया जाएगा ताकि कम्बशन चैम्बर में 950°C न्यूनतम तापमान बनाया रखा जा सके जिसके साथ गैस अवरोधक समय दो सेकेन्ड से कम नहीं होगा ।

iv निवेश अपशिष्ट की स्थिति में हेलोजिनेटिड कार्बनिक अपशिष्ट, वजन में 1% से अधिक हो तो केवल ट्विन चेम्बर भस्मीकरण संयंत्र में अपशिष्ट का भस्मीकरण किया जाएगा तथा सभी सुविधाओं को इस तरह डिजाइन किया जाएगा ताकि प्राइमरी चेम्बर में 850±25°C और सेकेण्डरी कम्बशन चैम्बर में 1100°C न्यूनतम तापमान बनाए रखा जा सके जिसके साथ सेकेन्डरी कम्बशन चेम्बर में गैस अवरोधक समय दो सेकेन्ड से कम नहीं होगा ।

v. भस्मीकरण संयंत्र के उत्सर्जन मार्जन के लिए जो मार्जक हैं, उनका उपयोग क्वेन्चर के रूप में नहीं किया जाएगा ।

(1)	(2)	(3)	(4)
		vi भस्मीकरण संयत्रं (अर्थात् कम्बशन चैम्बर्स) को ऐसे तापमान, अवरोधन समय और उथल-पुथल के साथ प्रचालित किया जाएगा ताकि अपशिष्ट और भस्मीकरण राख में कुल कार्बनिक कार्बन (TOC) यौगिक 3% से कम हो और अपशिष्ट तथा राख की भस्मीकरण क्षय की मात्रा का शुष्क भार 5% से कम हो । गैर-अनुपालन के मामले में यथा स्थिति राख और अपशिष्ट का दुबारा भस्मीकरण किया जाएगा। vii भस्मीकरण संयंत्र के लिये चिमनी की न्यूनतम ऊँचाई तीस मीटर अवश्य रहेगी ।	
		ग. भस्मीकरण सयंत्र के लिये बहि:स्राव मानक	
		टिप्पण: (i) मार्जक और तल धुलाई अपजल से उत्पन्न बहि:स्राव ढकी हुई नाली या पाइप नेटवर्क के माध्यम से बहाया जाएगा और इसका शोधन ऊपर 'क' भाग में उल्लिखित बहि:स्राव मानकों के अनुरूप किया जायेगा । (ii) तल धुलाई अपजल में कुल घुलित कणों (TDS) की मात्रा कच्चे जल में TDS की मात्रा के ऊपर 1000 मि.ग्रा./लीटर से अधिक नहीं होगी ।	
		घ. वर्षा जल	
		टिप्पण : (i) वर्षा जल को मार्जक जल और/अथवा तल धुलाई अपजल के साथ मिलने के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी । (ii) वर्षा जल को वर्षा के 10 मिनट (घंटे का औसत) की संग्रहण क्षमता के एच डी पी ई परत वाले गढ्ढे के माध्यम से अलग नाली से बहाया जाएगा ।"	

[फा. सं. क्यू-15017/14/2009-सी.पी.डब्ल्यू.]

रजनीश दुबे, संयुक्त सचिव

टिप्पण.—मूल नियम, भारत के राजपत्र, में सं.का.आ.844 (अ), तारीख 19 नवम्बर 1986 द्वारा प्रकाशित किए गए थे; और तत्पश्चात् सं.का.आ.433 (अ), तारीख 18 अप्रैल 1987 द्वारा संशोधित किये गए और अभी हाल में सा.का.नि. 97 (अ), तारीख 18 फरवरी 2009; सा.का.नि. 149 (अ), तारीख 4 मार्च, 2009; सा.का.नि. 512 (अ), तारीख 9 जुलाई, 2009; सा.का.नि. 543 (अ), तारीख 22 जुलाई, 2009; सा.का.नि. 595 (अ), तारीख 21 अगस्त, 2009; सा.का.नि. 794 (अ), तारीख 04 नवम्बर 2009; सा.का.नि. 826 (अ), तारीख 16 नवम्बर, 2009, सा.का.नि. 01 (अ), तारीख 01 जनवरी 2010; और सा.का.नि. 61 (अ), तारीख 05 फरवरी 2010 द्वारा उनका संशोधन किया गया ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th June, 2010

G.S.R. 485(E).—In exercise of the powers conferred by sections 6 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Environment (Protection) Rules, 1986, namely:-

1. (1) These rules may be called the Environment (Protection) Third (Amendment) Rules, 2010.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Environment (Protection) Rules, 1986, in Schedule I,-

(a) serial number 45 and the entries relating thereto, shall be omitted; and

(b) for serial number 8 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

S.No.	Industry	Parameter	Standard
(1)	(2)	(3)	(4)
"8	Dye and Dye Intermediate Industry	**A. Effluent Standards**	
			Limiting concentration in mg/l, except for pH, Temperature, Colour and Bioassay Test
		pH	6.0-8.5
		Suspended Solids	100
		BOD 3days, 27^0C	100
		Temperature	shall not exceed 5 °C above the ambient temperature of water in the receiving body
		Colour	400 (Hazen unit)
		Mercury(as Hg)	0.01
		Chromium (as Cr^{6+})	0.1
		Chromium (Total Chromium as Cr)	2.0
		Copper(as Cu)	3.0
		Zinc (as Zn)	5.0
		Nickel (as Ni)	3.0
		Lead (as Pb)	0.1
		Manganese (as Mn)	2.0
		Cadmium (as Cd)	2.0
		Chloride(as Cl)	1000
		Sulphate (as SO_4)	1000
		Phenolic Compounds (as C_6H_5OH)	1.0
		Oil and Grease	10
		Bioassay Test	90% survival of fish after 96 hours in 100% effluent*
		* The Bioassay test shall be conducted as per IS : 6582-1971.	

India Code

2199 GI/10-2

(1)	(2)	(3)	(4)

Note:

(i) The standards for chlorides and sulphates shall be applicable only for discharge of treated effluent into inland surface water courses. However, when discharged on land for irrigation, the norms for chloride shall not be more than 600 mg/l over and above the contents of raw water and the sodium absorption ratio (SAR) shall not exceed 26.

(ii) Effluent shall not be stored in holding tank(s) in such manner which may cause pollution of groundwater.

B. Emission Standards for Incinerator

		Limiting concentration in mg/Nm^3, unless otherwise stated	Sampling Duration in minutes unless otherwise stated
Particulate Matter		50	30 or more (for sampling of 300 litres of emission)
HCl		50	30
SO_2		200	30
CO		100	daily average
Total Organic Carbon		20	30
Total Dioxins and Furans *	Existing Incinerator	0.2 ngTEQ/Nm^3	8 hours
	New Incinerator	0.1 ngTEQ/Nm^3	8 hours
Sb +As + Pb + Cr + Co +Cu +Mn + Ni + V + Cd + Th + Hg and their compounds		1.5	2 hours

* The existing plants shall comply with norms for Dioxins and Furans as 0.1 ngTEQ/Nm^3 by 01st January, 2014.

Note :

i. All monitored values shall be corrected to 11% oxygen on dry basis.

ii. The CO_2 concentration in tail gas shall not be less than 7%.

iii. In case, halogenated organic waste is less than 1% by weight in input waste,

all the facilities in twin chamber incinerator shall be designed so as to achieve a minimum temperature of 850±25°C in primary chamber and 950°C in secondary combustion chamber and with a gas residence time in secondary combustion chamber not less than two seconds.

or

all the facilities in single chamber incinerator for gaseous hazardous waste shall be designed so as to achieve a minimum temperature of 950°C in the combustion chamber with a gas residence time not less than two seconds.

iv. In case halogenated organic waste is more than 1% by weight in input waste, waste shall be incinerated only in twin chamber incinerators and all the facilities shall be designed to achieve a minimum temperature of 850±25°C in primary chamber and 1100°C in secondary combustion chamber with a gas residence time in secondary combustion chamber not less than two seconds.

(1)	(2)	(3)	(4)
		v. Scrubber meant for scrubbing emissions from incinerator shall not be used as quencher. vi. Incineration plants shall be operated, (i.e., combustion chambers) with such temperature, retention time and turbulence, as to achieve Total Organic Carbon (TOC) content in the incineration ash and residue less than 3%, and the loss on ignition for ash and residue is less than 5% of the dry weight. In case of non-conformity, ash and residue, as the case may be shall be re-incinerated. vii. The incinerator shall have a chimney of at least thirty metres height.	
		C. Effluent Standards for Incinerator	
		Note: (i) Effluent from scrubber (s) and floor washing shall flow through closed conduit or pipe network and be treated to compply with the effluent standards mention at 'A' above. (ii) The built up in Total Dissolved Solids (TDS) in wastewater of floor washings shall not exceed 1000 mg/l over and above the TDS of raw water used.	
		D. Stormwater	
		Note: (i) Stormwater shall not be allowed to mix with scrubber water and/or floor washings. (ii) Stormwater shall be channelized through separate drains passing through a HDPE lined pit having holding capacity of 10 minutes (hourly average) of rainfall.".	

[F. No. Q-15017/14/2009-CPW]

RAJNEESH DUBE, Jt. Secy.

Note.—The principal rules were published in the Gazette of India vide number S.O. 844 (E), 19th November, 1986; subsequently amended vide S.O. 433 (E), dated 18th April 1987; and recently amended vide G.S.R. 97(E), dated the 18th February, 2009; G.S.R. 149 (E), dated the 4th March, 2009; G.S.R. 512(E), dated the 9th July, 2009;G.S.R. 543 (E), dated the 22nd July, 2009; G.S.R. 595(E), dated the 21st August, 2009; G.S.R. 794 (E), dated the 4th November, 2009; G.S.R. 826 (E), dated the 16th November, 2009; G.S.R. 01 (E), dated the 1st January, 2010; and G.S.R, 61(E), dated 5th February, 2010.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.